दिनांक 01.08.2022	
प्रेस विज्ञप्ति 01/2022	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस कार्मिको को ''बेसिक लाइफ सपोर्ट'' का प्रशिक्षण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यू0पी0 आर्थोपैडिक एसोसिएशन द्वारा National Bone and Joint Day के अवसर पर सड़क दुर्घटना, आपदा प्रबन्धन, हृदयघात एवं अन्य चिकित्सीय आकस्मिकता के दौरान फर्स्ट रेस्पान्डर होने के नाते ''**बेसिक लाईफ सपोर्ट**'' में पुलिस कर्मियों को एसोसिएशन के डाक्टरों द्वारा प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया गया।

जिसके क्रम में दिनॉकः 01.08.2022 से 07.08.2022 तक **'Each ONE Save ONE'** थीम पर सड़क दुर्घटना, आपदा प्रबन्धन, हृदयघात एवं अन्य चिकित्सीय आकस्मिकता के दौरान पुलिस कर्मियों एवं जनता हेतु **''बेसिक लाईफ सपोर्ट''** का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न 17 जनपदों 1–कमिश्नरेट लखनऊ 2–कमिश्नरेट वाराणसी 3–कमिश्नरेट कानपुर 4–अलीगढ़ 5–अयोध्या 6–बरेली 7–फिरोजाबाद 8–गाजियाबाद 9–गोरखपुर 10–मेरठ 11–मथुरा 12–प्रयागराज 13–रायबरेली 14–इटावा 15–सहारनपुर 16–सुल्तानपुर 17–आगरा में आयोजित किया जा रहा है।

आज दिनॉकः 01.08.2022 को उपरोक्त कमिश्नरेट/जनपदों में यू0पी0 आर्थोपैडिक एसोसिएशन के नामित डाक्टरों द्वारा जनपदीय पुलिस राजपत्रित अधिकारी, चालक एवं अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सत्र का आरम्भ किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस लाइन, यू0पी0–112, यातायात, जीआरपी, पीएसी व फायरमैन आदि पुलिस कार्मिको को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, उ0प्र0 व यू0पी0 आर्थोपैडिक एसोसिएशन के प्रेसीडेन्ट डा0 आशीष कुमार, सेक्रेटरी डा0 सन्तोष सिंह द्वारा प्रशिक्षण सत्र का संयुक्त एक्शन प्लान तैयार कराकर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

आर. टी. सी.

जनपद बाराबंकी/थाना सुबेहा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.08.2022 को थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सुबेहा क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुबेहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–131/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुबेहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान निवासी इस्मालपुर मजरे भटगंवा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।

जनपद औरैया/थाना कोतवाली

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये के लूट/चोरी/धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट/चोरी/धोखाधड़ी के माल बिक्री के 14 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.08.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेशनल हाई–वे भाउपुर के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–शेरे अली 2–मो0सफीक 3–मो0इस्माइल 4–सुलेमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये के लूट/चोरी/धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट/चोरी/धोखाधड़ी के माल बिक्री के 14 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने–चाँदी के आभूषण, रूपया आदि उक्त घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेरे अली निवासी जल्लापुर सिकन्दरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

2–मो0सफीक निवासी मूसानगर खालेशहर बांगर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

3–मो0इस्माइल निवासी जल्लापुर सिकन्दरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

4–सुलेमान निवासी रूरा रोड़ अकबरपुर नेशनल हॉस्पिटल थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये के लूट/चोरी/धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट/चोरी/धोखाधड़ी के माल बिक्री के 14 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार

- **पुलिस कार्यवाही में 09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन, डी0एल0**
- **लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल आदि**
- **अन्य 08 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **08 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 12 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.08.2022 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहबाज नगर रोड के पास पुलिस कार्यवाही में 09

अभियुक्तों 1—पवन उर्फ कल्लू राईडर 2—सचिन 3—अभिजीत 4—विकास 5—रूपेश कुमार 6—अनुराग कश्यप उर्फ पुन्ना 7—मनोज 8—सचिन 9—रणजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 मोबाइल फोन, डी0एल0, लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल आदि, लूट के रैपर, बैनर, 04 प्लास्टिक बोरे में मोटर साइकिल के कटे पार्टस, अन्य 08 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 08 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 12 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट/चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तार व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—पवन उर्फ कल्लू राईडर निवासी मोहल्ला सेवा निकेतन कालोनी ग्राम नवादा इन्देपुर थाना कोतवाली जनपद शाहजहॉपुर।

2—सचिन निवासी मोहल्ला अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहॉपुर।

3—अभिजीत निवासी मोहल्ला बिजलीपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहॉपुर।

4—विकास निवासी मोहल्ला गदियाना शहवाजनगर रोड चॉदनी वाली पुलिया के पास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

5—रूपेश कुमार निवासी मोहल्ला नई बस्ती अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहॉपुर।

6—अनुराग कश्यप उर्फ पुन्ना निवासी मोहल्ला गदियाना शहवाजनगर रोड चॉदनी वाली पुलिया के पास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

7–मनोज निवासी ग्राम बकेनिया थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

8–सचिन निवासी ग्राम बकेनिया थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

9–रणजीत कुमार निवासी ग्राम पचौनी थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूट के 02 मोबाइल फोन, डी0एल0।

2–लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल आदि।

3–लूट के रैपर बैनर

4–04 प्लास्टिक बोरे में मोटर साइकिल के कटे पार्टस।

5–अन्य 08 मोबाइल फोन ।

6–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

7– 08 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 12 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **1500/–रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.08.2022 को थाना बिन्दकी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–साजिद 2–राजकरन उर्फ करन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 1500/–रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के थाना बिन्दकी पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 31.07.2022 को थाना बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पर मु0अ0सं0 348/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद निवासी मोहल्ला रजोडा कोडा कस्बा व थाना जनपद जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

2–राजकरन उर्फ करन निवासी मोहल्ला लंका रोड केवटरा कस्बा व थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–1500/–रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद जौनपुर/थाना कोतवाली

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **17 हजार 700 रूपये नगद**
- **11 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 31.07/01.08.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृषि भवन पार्क के पास से 03 शातिर अभियुक्तों 1–रवि

2—पिन्टू उर्फ ठाकुर प्रसाद 3—सोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 17 हजार 700 रूपये नगद, 11 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त पिन्टू उर्फ ठाकूर प्रसाद व सोहित के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो पर कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि निवासी हरईपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर।

2—पिन्टू उर्फ ठाकुर प्रसाद निवासी मियापुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर।

3—सोहित निवासी कसेरी बाजार थाना कोतवाली जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—17 हजार 700 रूपये नगद।

3—11 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद कुशीनगर/थाना नेबुआ नौरंगिया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख रूपये नगद**
- **45 फर्जी सिमकार्ड**
- **विभिन्न बैंको के 10 एटीएम कार्ड**
- **03 मोबाइल फोन**
- **24 आधार कार्ड, पास बुक व चेक बुक आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.07.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—राजकुमार 2—राजेश 3—रामनाथ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख रूपये नगद, 45 फर्जी सिमकार्ड, विभिन्न बैंको के 10 एटीएम कार्ड, 03 मोबाइल फोन, 24 आधार कार्ड, पास बुक, चेकबुक आदि, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी करके बैंको से पैसा ट्रान्सफर करने के बहाने से रूपये निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार निवासी चिलगोडा कृपापट्टी थाना जटहाबाजार जनपद कुशीनगर।

2—राजेश निवासी रामपुर नितिशनगर थाना लौकरिया जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार।

3—रामनाथ निवासी ग्राम बहेलिया (भुजौली बुजुर्ग) थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—01 लाख रूपये नगद।

2—45 फर्जी सिमकार्ड।

3—विभिन्न बैंको के 10 एटीएम कार्ड।

4—03 मोबाइल फोन।

5—24 आधार कार्ड, पास बुक, चेकबुक आदि।

6— घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार, 440 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 88 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 01—08—2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद झांसी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को जनपद झांसी से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 440 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 88 लाख रूपये) बरामद करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— सुधीर पुत्र ओमकार निवासी गग्रम बाद ककुआ, थाना मलपुरा, आगरा।

2— अमृतपाल पुत्र चरनजीत निवासी हरभान सिंह का पुरा, थाना बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान

3— शेख जिलानी पुत्र शेख छोटाअली उम्र की करीब 28 वर्ष निवासी चितकुण्डा, थाना चितकुण्डा, जिला मलखान गिरि, उड़ीसा

4— ज्ञानीराम पुत्र रामगोपाल निवासी उम्र करीब 45 वर्ष थाना सदर वाडी, जिला धौलपुर, राजस्थान

बरामदगीः

1— 440 कि0ग्रा0 मादक पदार्थ (गांजा)(अनुमानित मूल्य लगभग 88 लाख रूपये)।

2— ट्रक सं0 आर0जे0—11 जी0ए0 4512

3— 03 अदद मोबाइल फोन

4— रू0 5600/— नगद

5— 01 अदद वोटर आई0डी0 कार्ड

6— 01 अदद पैन कार्ड

7— 01 अदद डी0एल0

8— 01 अदद कार स0 सी0जी0 10 एफ0 8584

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 01—08—2022, स्थानः—थाना सीपरी बाजार, झांसी क्षेत्रान्र्तगत बिहारी तिराहे के सामने, शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर, समयः प्रातः 04:30 बजे

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि एक ट्रक ललितपुर, बबीना से झांसी की तरफ से आ रहा है, जिसमें मादक पदार्थ भरा हुआ है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, आरक्षी विवेक जादौन, आरक्षी बल्देव सिंह, आरक्षी दिनेश कुमार, आरक्षी अंकित गुप्ता की एक टीम गठित कर स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर चैंकिग करने लगे। इसी दौरान ललितपुर की तरफ से विहारी तिराहे के सामने शिवपुरी ग्वालियर हाइवे पर एक ट्रक संख्या आर0जे0 11 जी0ए0 4512 आता दिखायी दिया, जिसे मुखबिर की निशादेही पर एस0टी0एफ टीम तथा थाना पुलिस द्वारा ट्रक को रोककर एक बारगी दबिश देकर 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियो ने अपना नाम सुधीर तथा अमृतपाल बताया। सुधीर द्वारा बताया कि मेरे ट्रक में जो अवैध मादक पदार्थ (गांजा) है, वो शेख जिलानी ने उड़ीसा से लोड कराया था। और ज्ञानीराम के यहां जाना है। शेख जिलानी एवं ज्ञानीराम अपनी स्विफ्ट कार से हमे गाइड करते हुये ला रहे थे। अमृतपाल उपरोक्त द्वारा शेख जिलानी एवं ज्ञानीराम को सम्पर्क कर उसी स्थान पर आने को कहा। कुछ समय पश्चात दोनो व्यक्ति अपनी वाहन सं0 सी0जी0 10एफ 8584 स्विफ्ट कार से बिहारी तिराहे के सामने शिवपुरी हाइवे पर आ गये। एसटीएफ टीम व थाना सीपरी बाजार टीम द्वारा रूकने का इशारा दिया तो शेख जिलानी ने गाड़ी न रोकते हुये आरक्षी अंकित व निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा को अपने वाहन से फुल स्पीड में सामने से चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें दोनो बाल–बाल बचे। एसटीएफ टीम व स्थानीय पुलिस ने घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

ट्रक सं0 आर0जे0 11 जी0ए0 4512 की तलाशी लिये जाने पर ट्रक के पीछे त्रिपाल से ढ़के हुये प्लास्टिक/व जूट बोरे के 17 पैकेट मिले, तथा कार स0 सी0जी0 10 एफ0 8584 मे से प्लास्टिक/व जूट के बोरे के 05 पैकेट मिले, जिसमें भरे सामान को अभियुक्तो द्वारा मादक पदार्थ (गांजा) बताया गया। इन प्लास्टिक/व जूट बोरे के पैकेटो का वजन कराये जाने पर कुल माल का वजन 440.00 कि0ग्रा0 था। ।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तो ने स्वीकार किया कि ये अवैध मादक पदार्थ (गांजा) के बण्डल है। वह यह गांजा उड़ीसा से लाकर, धौलपुर राजस्थान व आसपास के क्षेत्रो मे बेचते हैं। अभियुक्तो द्वारा गॉजा की सप्लाई, डिलेवरी आदि के सम्बन्ध में बताये गये अन्य तथ्यों की एस0टी0एफ0 द्वारा छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्व थाना सीपरी बाजार, झांसी पर मु0अ0सं0 382/2022 धारा–307 भादवि व मु0अ0सं0 383/2022 धारा 18/20/22/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना थाना सीपरी बाजार, झांसी द्वारा की जा रही है।

<u>एसटीएफः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर 280 ग्राम मारफीन के साथ गिरफ्तार।</u>

दिनांक 01.08.2022 को में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 280 ग्राम मारफीन (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1— मुस्लिम रजा पुत्र आले हसन, नि0 ग्राम उसैता, थाना बिनावर जिला बदायुॅ।

<u>बरामदगीः–</u>

1. 280 ग्राम मारफीन (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 30 लाख रूपये)
2. 8040/— रूपये नगद
3. दो एटीएम कार्ड
4. आधार कार्ड

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांकः–</u>

रेलवे स्टेशन तिराहा, लाल फाटक रोड, बरेली, दिनांक 01—08—2022

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अजयपाल सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिूसचना संकलन के दौरान विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का एक सदस्य राजधानी एक्सप्रेस से नागालैण्ड के दीमापुर से अवैध मादक पदार्थ मारफीन को लेकर आयेगा। जिसकी आपूर्ति

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और उत्तराखण्ड में की जायेगी। इस सूचना से केन्द्रीय नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, बरेली को अवगत कराते हुए उनकी टीम को साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान रेलवे स्टेशन तिराहा लाल फाटक रोड, बरेली पर पहुॅच कर इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की तरफ से पैदल आता दिखाई दिया, जिसे मुखबिर ने देखकर बताया कि इसी व्यक्ति के पास अवैध मरफीन है, जो दीमापुर से लेकर आया है। हम लोगो ने नजदीक आने पर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी ली गयी तो उसने अपने बायें पैर में अवैध मारफीन को बॉध कर छिपा रखा है। उक्त पैकट को निकाल कर चैक किया गया तो उसमें अवैध मारफीन बरामद हुई। जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि यह मारफीन दीमापुर से रूमीला दीदी से लेकर आया है। रूमीला नागालैण्ड की सेनापति जिला के पाऊजी चौक की रहने वाली है, उन्होने यह माल मुझे दीमापुर में होटल रॉयल पैलेस में ला कर दिया। यह माल मैं यहॉ अपने भाई सरवर रजा के माध्यम से पश्चिमी यू0पी0, उत्तराखण्ड व दिल्ली में सप्लाई करता। इससे पूर्व भी मैं जनपद बदायॅु में 100 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसमें मैं जेल गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, बरेली में दाखिल कर उनके विरूद्ध केस सं0 04/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, बरेली द्वारा की जा रही है।

———————